न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 227/2014

वादी :-

1. नैनाराम वल्द हिमताराम
जाति-भाम्बी, निवासी-राजादण्ड
तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भालाराम पुत्र मंगला
2. परमा पुत्री मंगला
3. ककूदेवी पत्नि मंगला
जातियान-भाम्बी,निवासी-राजादण्ड
तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
4. भेराराम वल्द धना
5. राणाराम वल्द धना
6. चन्द्राराम वल्द धना
7. गेरकी बेवा धना
जातियान-भाम्बी,निवासी-राजादण्ड
तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
8. तहसीलदार, जैतारण
तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.11.11.2014**

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मय वादी उप0।
2. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मय प्रति0 संख्या 1 उप0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 02/06/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-पाटवा, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 203 रकबा 7-06 बीघा किस्म बा0अ0 की आई हुई हैं। जिसमें वादी 1/4 हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं व 1/4 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 1/2 की हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग-अलग बंटी हुई हैं व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त हैं व वादी खसरा नम्बर 203 रकबा 7-06 बीघा भूमि में से 1/4 हिस्सा यानि रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा 5 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई हैं व वादी का अपने हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज हैं। मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में शामलाती दर्ज हैं व नक्शा ट्रेस में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई हैं। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग-अलग तरमीम की हुई नहीं हैं तथा विवादित आराजी को वाद में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा कि सम्वत् 2070 से 2073 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की प्रति वाद के साथ पेश की हैं। जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 203 रकबा 7-06 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

भूमि में 1/4 हिस्सा यानि रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा 5 बिस्वांसी में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व उनके हाली एजेन्ट नौकर चाकर आदि बलपूर्वक वादी की कब्जे काश्त की भूमि पर दखलन्दाजी करने व भूमि को बेदखल कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं। जबकि वादी ने विवादित भूमि को मौके पर बंटे हिस्सानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेस मे तरमीम रखने का तकासमा करवाने का कहा–मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 21/09/2014 को मना कर दिया, एलानिया धमकी दी। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। बाद तकासमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया, तो वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं हैं। वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार–बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगे, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 7 तहसीलदार, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर हैं जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व तकासमा आराजी के आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। बिनायवाद दिनांक 21/09/2014 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने बेचान करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम–पाटवा, तहसील–जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने तथा वादी की भूमि के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 7 को बावजूद तामिली / सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 02/03/2015 को की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से श्री शाकिर हुसैन अधिवक्ता ने दिनांक 02/03/2015 को वकालतनामा पेश किया, सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली आज दिनांक 02/06/2015 राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र – पाटवा में मुकर्रर होकर पेश हुई। वादी स्वयं एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रति0 संख्या 1 उपस्थित आए, किन्तु अधिवक्ता प्रति0 अनुपस्थित रहे। उपस्थित प्रति0 संख्या 1 ने व्यक्त किया कि प्रति0 की ओर से जबाबदावा पेश करना नहीं चाहते हैं,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

लिहाजा प्रति0 का जबाबदावा बन्द किया गया। चूँकि वादी विवादित भूमि के स्वयं राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी 2070-2073 अनुसार खातेदार काश्तकार होना बखूबी साबित हैं, जिससे वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं। लिहाजा तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाकर विभाजन प्रस्ताव/बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश करें। तहसीलदार, जैतारण ने उभय पक्षकारानों का जरिए राजीनामा फर्द मौका मय नजरी नक्शा उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों ने बंटवाड़ा करके विभाजन / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया, सामिल मिसल किया गया। उक्त बंटवाड़ा / विभाजन पर वादी तथा प्रति0 संख्या 1 ने राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकारोक्ति दी हैं अर्थात् कोई आपति नहीं कर राजीनामा / सहमति अंकित कर हस्ताक्षर अंकित किये हैं। लिहाजा माफिक सहमति राजीनामा बंटवाड़ा रिपोर्ट फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 02/06/2015 वाद वादी डिक्री किया जाना तथा वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा किया जाना हम उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर. की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-पाटवा, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 203 रकबा 7-06 बीघा किस्म बा0अ0 भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	नैनाराम पुत्र हिमताराम कौम-भाम्बी सा0 राजादण्ड	203	1-16-00	बा0अ0
2	भालाराम पुत्र मंगलाराम परमाराम पुत्र मंगलाराम ककूदेवी पत्नि मंगलाराम कौम-भाम्बी सा0 राजादण्ड	203/1	1-17-00	बा0अ0
3	भेराराम, राणाराम, चन्द्राराम पि0 धन्नाराम, गैरकी पत्नि धन्नाराम कौम-भाम्बी सा0 राजादण्ड	203/2	3-13-00	बा0अ0
योग		3	7-06-00	बा0अ0

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल-दरामद किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया गया। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर-ए-लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 02/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि-पाटवा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner